

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद एवं सभी नगर पंचायत।

पटना, दिनांक- 10/05/19

विषय:- शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संभरण प्रणाली (Rain Water Harvesting System) को प्रभावी रूप से लागू करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-675 दिनांक-30.05.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में आपका ध्यान राज्य में उत्पन्न भीषण जल संकट एवं गिरते जल स्तर की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि इस समस्या के स्थायी निदान हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार कृत संकल्पित है।

भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जल शक्ति अभियान (JSA) आरंभ किया गया है।

सभी शहरी निकायों में Rain Water Harvesting System लागू करने के लिए निम्न प्रकार से स्थलों का वर्गीकरण किया जा सकता है:-

- (i) निकायों अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के drinking water points यथा प्याउ, चापाकल एवं अन्य सार्वजनिक स्थल जहाँ पर उपयोग के अतिरिक्त लगातार पीने वाले जल की बर्बादी होती रहती है।
- (ii) नगर निकाय के स्वामित्व वाले भवन यथा प्रशासनिक भवन, सम्राट अशोक भवन, टाउन हॉल आदि के roof top से वर्षा जल का संभरण (Rain Water Harvesting)
- (iii) नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत पार्क, खेल के मैदान एवं अन्य खुली जगह जहाँ वर्षा का पानी का संचयन नहीं होता है एवं वर्षा का पानी run-off के रूप में बह जाता है।

(iv) सभी शहरी निकायों में पूर्व से सार्वजनिक कुँआ भी निर्मित थे, जिसे वर्तमान में revenue map से चिन्हित किया जा सकता है। उक्त प्रकार का कुँआ भी पानी की उपलब्धता का अच्छा स्रोत है एवं इसके जीर्णोद्धार से ground water recharge भी हो सकेगा, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी नगर निकाय उक्त सार्वजनिक कुँआओं को चिन्हित कर लें एवं यदि अतिक्रमित है तो उसे अतिक्रमण मुक्त करायें।

यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि यदि किसी कुँए में पानी नहीं है तो सम्भावना है कि पानी का स्रोत अनुपलब्ध है या choked है, तदनुसार इसकी जांच कर लें। ऐसी स्थिति में कुँए के निकट चापाकलों की जांच कर उसके जल स्तर की जांच कर ही कुँए की उड़ाही कराना उचित होगा।

यदि क्षेत्र का जल स्तर कुँए के भू-तल से अधिक नीचे चला गया है तो वैसी स्थिति में कुँए की उड़ाही का कोई औचित्य नहीं है। अतः कुँए की उड़ाही के संबंध में स्थिति का आकलन कर ही निर्णय लिया जाय।

(v) Building Bye-laws में भी Rain Water Harvesting System का प्रावधान प्रत्येक घर के roof top से करने का प्रावधान है।

उपरोक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त क्रमांक (i) एवं (ii) पर अंकित स्थितियों के लिए मॉडल प्राक्कलन विभागीय पत्रांक-872 दिनांक-05.07.2019 द्वारा सभी निकायों को प्रचारित कर दिया गया है एवं विभागीय वेबसाईट से भी उक्त प्राक्कलन को डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त पत्र की प्रति सभी जिला पदाधिकारी को भी पत्रांक-881 दिनांक-08.07.2019 द्वारा दी गयी है। क्रमांक (iii) पर अंकित स्थिति के लिए मॉडल प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है, जिसे सभी नगर निकायों को शीघ्र प्रचारित कर दिया जायेगा।

उक्त Rain Water Harvesting System के संरचना का निर्माण नगर निकाय द्वारा राज्य वित्त आयोग/आंतरिक स्रोत की राशि से कराया जा सकता है।

विश्वरामभाजन

9/7/2015

सरकार के प्रधान सचिव।